

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं0 46/2017-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 13 अक्टूबर, 2017

सा0का0नि0 (अ)- केन्द्रीय सरकार अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 8/2017- केन्द्रीय कर, तारीख 27 जून, 2017, सा.का. नि. 647 (अ), तारीख 27 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, -

- (i) शब्द "पचत्तर लाख रुपये" के स्थान पर "एक करोड़ रुपये" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (ii) शब्द "पचास लाख रुपये" के स्थान पर "पचत्तर लाख रुपये" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. 354/117/2017-टीआरयू (भाग.111)]

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार